

9/5/24

पत्रावली मिलने के बाद जस्टिस करते वर  
 पेग डूबे अधिवक्ता जाये दफ्तर व  
 जाये स्वयं दफ्तर आया। अर्थात्  
 पत्र जस्टिस कर अर्थात् पत्र आगे  
 नहीं चलाने का निर्देश किया। पूर्व में  
 जारी-धरम आदेश निरस्त कर पत्रा  
 withdraw करे का निर्देश किया  
 दस्तावेज अर्थात् कलपे जाये अर्थात्  
 पत्र अवलोकन कर. अर्थात् पत्र  
 इसी तरह पत्र खारिज किया जाता  
 है एवं अर्थात् पत्र में जारी  
 आदेश निर्देशात्मक दिनांक 8/4/24  
 को भी इसी तरह पत्र खारिज किया  
 जाता है। पत्रावली के मल धरम  
 का तत्काल जस्टिस जस्टिस

*Ditendar*

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

